



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16022026-270176
CG-MH-E-16022026-270176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97।
No. 97।

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 9 फरवरी, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026

सं. फेमा 3(आर)(5)/2026-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप धारा (2), धारा 6 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2018 (अधिसूचना संख्या फेमा 3(आर)/2018-आरबी दिनांक 17 दिसंबर 2018) में निम्नलिखित संशोधन करता है (इसके बाद 'प्रमुख विनियम' के रूप में संदर्भित), अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

- (1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) बाह्य वाणिज्यिक उधार, जिनके लिए इन विनियमों के लागू होने से पहले क्रृष्ण पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा चुकी है, वे तत्कालीन लागू विनियमों के अनुपालन में जारी रहेंगे, सिवाय रिपोर्टिंग के, जो संशोधित नियमों के अनुसार की जाएंगी।

2. विनियम 2 में संशोधन - प्रमुख विनियमों में, विनियम 2 को निम्नलिखित विनियमन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. परिभाषाएँ -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:

- (ए) "अधिनियम" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42);
- (बी) "आर्मस लेंग्थआधार" का अर्थ है दो संबंधित पक्षों के बीच एक लेनदेन जो इस तरह से आयोजित किया जाता है जैसे कि लेन-देन करने वाले पक्ष असंबंधित थे, ताकि हितों का कोई टकराव न हो;
- (सी) "अधिकृत बैंक" का वही अर्थ होगा जो इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 में दिया गया है;
- (डी) "अधिकृत डीलर (एडी)" का अर्थ है अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत डीलर के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति;
- (ई) "बैंचमार्क दर" का अर्थ है विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी) के मामले में उधार की मुद्रा पर लागू 6 महीने की अवधि की कोई भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतरबैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर)। साथ ही, इसका अर्थ है कि भारतीय रूपये (आईएनआर) मूल्यवर्ग के ईसीबी/टीसी के मामले में तदनुरूपी परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूति का मौजूदा यील्ड।

(एफ) "नियंत्रण" -

- (i) कंपनियों के मामले में, नियंत्रण का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उसे दिया गया है; तथा
- (ii) एलएलपी के मामले में, नियंत्रण का अर्थ है नामित भागीदारों में से अधिकांश को नियुक्त करने का अधिकार, जहां ऐसे भागीदार, अन्य के लिए विशेष बहिष्करण के साथ, एलएलपी की सभी नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं।
- (जी) "उधार लेने की लागत" का अर्थ है ब्याज की दर, अन्य शुल्क, व्यय, प्रभार, गारंटी शुल्क और निर्यात क्रेडिट एजेंसी प्रभार, चाहे इसका भुगतान एफसीवाई या आईएनआर में किया गया हो, लेकिन इसमें भारत में देय प्रतिबद्धता शुल्क और सांविधिक कर शामिल नहीं होंगे;
- (एच) "नामित अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी । बैंक" का अर्थ है ईसीबी और टीसी के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने और ऐसे लेनदेन की निगरानी के लिए उधारकर्ता द्वारा नामित एडी श्रेणी । बैंक;
- (आई) "विनियम अर्जकों का विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता" का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2015 में दिया गया है;
- (जे) "बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)" का अर्थ, इन विनियमों की अनुसूची । के अनुसार, पात्र उधारकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त क्रृणदाता से उधार लेना है;
- (के) "बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीएल)" का अर्थ, इन विनियमों की अनुसूची ॥ के अनुसार, भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को उधार देना है;
- (एल) "विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता (एफसीएनआर (बी))" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में दिया गया है;
- (एम) "वित्तीय क्षेत्र विनियामक" का अर्थ, भारत में लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित वित्तीय विनियामक निकाय है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण शामिल हैं;
- (एन) "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी)" का वही अर्थ होगा जो इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स (श्रू डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म) स्कीम, 1993 में दिया गया है;
- (ओ) "विदेशी मुद्रा विनियम बॉन्ड (एफसीईबी)" का वही अर्थ होगा जो इश्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स स्कीम, 2008 में दिया गया है;

(पी) "आवास वित्त संस्था" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) में दिया गया है;

(क्यू) "भारतीय संस्था" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत भारत में निर्गमित कंपनी या केंद्रीय/राज्य अधिनियम के तहत भारत में स्थापित कॉर्पोरेट निकाय या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत भारत में गठित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी;

(आर) "इंडस्ट्रियल पार्क" का अर्थ ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित भूमि के प्लॉट या निर्मित स्थान या सामान्य सुविधाओं के साथ संयोजन के रूप में गुणवत्तापूर्ण ढाँचा विकसित किया जाता है और औद्योगिक गतिविधि के उद्देश्य से सभी आवंटित इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है;

स्पष्टीकरण: साझा सुविधाओं का अर्थ इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित सभी इकाइयों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से है, और इसमें बिजली, सड़कें (पहुंचने वाली सड़कें भी शामिल हैं), रेलवे लाइन/साइडिंग जिसमें इलेक्ट्रिकाइड रेलवे लाइनें और मुख्य रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी शामिल है, पानी की सप्लाई और सीवरेज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, कॉमन टेस्टिंग, टेलीकॉम सेवाएं, एयर कंडीशनिंग, कॉमन फैसिलिटी विलिंग, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कन्वेंशन/कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग, ट्रैवल डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथम उपचार केंद्र, एम्बुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवा, प्रशिक्षण सुविधाएं और इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित इकाइयों के साझा इस्तेमाल के लिए बनी ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

(एस) "बुनियादी ढाँचा क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो उसे भारत सरकार की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना एफ. सं. 13/06/2009-आईएनएफ के तहत स्वीकृत 'इंफ्रास्ट्रक्चर सब-सेक्टर की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट' में दिया गया है। इन विनियामकीय उद्देश्यों के लिए, "एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और रिफाइनरी" जैसे क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचा क्षेत्र माना जाएगा;

(टी) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकार अधिनियम, 2019 (2019 का 50) में दिया गया है;

(यू) 'उदारीकृत विप्रेषण योजना' का अर्थ 4 फरवरी, 2004 के परिपत्र ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं 64 के अनुसार बनाई गई योजना है;

(वी) "अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाता" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में दिया गया है;

(डबल्यू) "अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाता" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में दिया गया है;

(एक्स) "राष्ट्रीय आवास बैंक" का वही अर्थ होगा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) में दिया गया है;

(वाय) "निवल मालियत" –

- (i) कंपनियों के मामले में, निवल मालियत का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दिया गया है; तथा
- (ii) अन्य संस्थाओं के मामले में, निवल मालियत पूँजीगत और अवितरित लाभ के तहत तुलन पत्र में दर्ज धन का योग होगा, जिसमें से संचित हानि, आस्थगित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाया जाएगा, जो अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बटे खाते में नहीं डाला गया है।

(ज़ेड) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का वही अर्थ होगा जैसा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 में दिया गया है;

(एए) "प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक" का वही अर्थ होगा जो नागरिकता अधिनियम, 1955 में दिया गया है;

(एबी) "रियल इस्टेट व्यवसाय" का अर्थ लाभ अर्जित करने की दृष्टि से भूमि या अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसे पट्टे पर देना है और इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि या अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री और पट्टा (हस्तांतरण न होना) शामिल नहीं हैं;

- (i) औद्योगिक पार्कों, एकीकृत टाउनशिप और एसईजे ड का निर्माण और विकास;

- (ii) नई औद्योगिक परियोजनाओं का विकास, मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार;
- (iii) 'बुनियादी ढांचा क्षेत्र' के तहत कोई भी गतिविधि;
- (iv) निर्माण-विकास परियोजना;
- (v) उधारकर्ता के स्वयं के उपयोग के लिए वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियां;
- (vi) रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेवाएं।

स्पष्टीकरण:-

(ए) निर्माण-विकास परियोजनाओं में टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, सड़कों या पुलों, होटलों, रिसॉटर्स, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, मनोरंजन सुविधाओं, शहर और क्षेत्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे, टाउनशिप शामिल हैं;

(बी) रियल इस्टेट व्यवसाय के संबंध में हस्तांतरण में ये शामिल हैं, -

(i) संपत्ति की बिक्री, विनियम या त्याग; या

(ii) उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति; या

(iii) किसी भी विधि के तहत उसका अनिवार्य अधिग्रहण; या

(iv) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए में निर्दिष्ट प्रकृति के अनुबंध के आंशिक प्रदर्शन में किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे की अनुमति देने या बनाए रखने की अनुमति देने वाला कोई भी लेनदेन; या

(v) किसी कंपनी में पूँजीगत लिखत प्राप्त करके या किसी भी समझौते या किसी व्यवस्था के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से कोई भी लेनदेन, जिसमें किसी भी अचल संपत्ति के अंतरण या उपयोग को सक्षम करने का प्रभाव होता है, शामिल हैं।

(एसी) "संबंधित पक्ष" का अर्थ है ऐसी इकाई से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्ष के रूप में अर्हता प्राप्त करती है। कंपनी के अलावा किसी व्यक्ति के लिए, यह परिभाषा आवश्यकतानुसार लागू होगी;

(एडी) "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दिया गया है;

(एई) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 में दिया गया है;

(एएफ) "विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 में दिया गया है;

(एजी) "विशेष अनिवासी रूपया खाता (एसएनआरआर) खाता" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियम, 2016 में दिया गया है;

(एएच ("व्यापार ऋण टीसी))" का मतलब है भारत में अनुमेय आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता या वित्तीय संस्थान द्वारा दिया गया ऋण और इसमें आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और खरीदारों के ऋण दोनों शामिल हैं; स्पष्टीकरण: आपूर्तिकर्ताओं के ऋण का संबंध भारत में आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए ऋण से है, जबकि खरीदारों के ऋण का मतलब भारत में आयात के भुगतान के लिए आयातक द्वारा किसी विदेशी बैंक या वित्तीय संस्थान से व्यवस्था किए गए ऋण से है।

एआई)) "अंतरणीय विकास अधिकार (अनुमेय पूँजी खाता लेनदेन) का वही मतलब होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध " विनियमावली, में इसे दिया गया है। 2015

(2) इन विनियमावली में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।"

3 .विनियम 3ए का शामिल किया जानामुख्य विनियमावली में – , मौजूदा विनियम के बाद 3, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, यानी:-

“3ए. उधार ली गई निधि के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध-:

(1) इन विनियमों के तहत उधार ली गई निधि भारत में इन कामों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी:-

(ए) चिट फंड;

(बी) निधि कंपनी;

(सी) रियल इस्टेट व्यवसाय और फार्महाउस का निर्माण, बशर्ते कि:-

(i) निर्माण और विकास परियोजना के लिए ऋण लेने के मामले में, उधारकर्ता प्लॉट तभी बेचेगा जब वह ट्रॅक अधोसंरचना अर्थात् सड़कें, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी और सीवरेज का विकास सुनिश्चित कर ले।

(ii) औद्योगिक पार्क के लिए ऋण लेने के मामले में, ऐसे पार्क में कम से कम 10 यूनिट होनी चाहिए और कोई भी एक यूनिट आवंटन योग्य क्षेत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा जगह नहीं धेरेगी और औद्योगिक गतिविधि के लिए आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आवंटन योग्य क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: औद्योगिक पार्क में —का मतलब है "आवंटन योग्य क्षेत्र"

(i) विकसित भूमि के प्लॉट के मामले में इकाई को आवंटन के लिए उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र -, जिसमें सामान्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र शामिल नहीं है।

(ii) निर्मित स्थानों के मामले में फर्श क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं देने के लिए उपयोग किया गया बना हुआ - स्थान।

(iii) विकसित भूमि और निर्मित स्थान के संयोजन के मामले में सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए – उपयोग किए जाने वाले साइट क्षेत्र और निर्मित स्थान को छोड़कर इकाइयों को आवंटन के लिए उपलब्ध निवल साइट और फर्श क्षेत्र।

(डी) कृषि और पशुपालन, निम्नलिखित के आलावा –

नियंत्रित परिस्थितियों में फूलों की खेती, बागवानी और सब्जियों और मशरूम की खेती;

(i) बीज और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन;

(ii) पशुपालन (कुत्तों की ब्रीडिंग सहित), मत्स्य पालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन; और

(iv) कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं

स्पष्टीकरण - 'नियंत्रित परिस्थितियों में' में फूलों की खेती, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती की श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों में खेती' शामिल है जो कि खेती का एक तरीका है जिसमें बारिश, तापमान, सौर विकिरण, हवा की नमी और संवर्धन माध्यम को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन मापदंडों में नियंत्रण हरित घरों, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य उन्नत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के तहत संरक्षित खेती के माध्यम से किया जा सकता है जहां सूक्ष्मजलवायु परिस्थितियों को मानवजनित रूप से - विनियमित किया जाता है।

(ई) चाय, कॉफी, रबर, इलायची, पाम तेल के पेड़, जैतून के तेल के पेड़ के अलावा अन्य बागान

(एफ) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार;

(जी) सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेनदेन, सिवाय उन लेनदेन के जो किसी भारतीय संस्थान द्वारा कॉर्पोरेट कार्यों जैसे विलय, विलीनीकरण, समामेलन, व्यवस्था या नियंत्रण के अधिग्रहण के लिए किए गए हैं, जो कि उस अधिनियम जिसके तहत संस्था को निगमित / स्थापित किया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, जैसा लागू हो, के अनुसार किया जाए;

स्पष्टीकरण: उप-विनियम 1(ग) के अंतर्गत, ऋण केवल रणनीतिक उद्देश्यों हेतु प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् ऐसे उद्देश्य जो संभावित सहयोग (सिनजी) के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य सूजन के मुख्य उद्देश्य से प्रेरित हों, अल्पकालिक लाभों के लिए नहीं हों।

(एच) घरेलू भारतीय रूपया ऋण की चुकौती (i) जो इस विनियमन के तहत प्रतिबंधित अंतिम उपयोग के लिए लिया गया था; या (ii) जो लागू प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(आई) इस विनियम के अंतर्गत धन उधार लेने और उपयोग करने के लिए जिन उद्देश्यों की अनुमति नहीं है, उन उद्देश्यों के लिए कोई भी ऑन-लेंडिंग नहीं की जाएगी।

4. विनियम 6(बी) का संशोधन - मूल विनियमों के विनियम 6(बी) में, उप-विनियम (vi) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) भारत में निवासी एकल व्यक्ति, एनआरआई या ओसीआई कार्डधारक रिश्तेदार से निम्नलिखित शर्तों के अधीन आईएनआर में भारत में प्रयोग के लिए उधार ले सकता है:

(ए) ऋण की राशि या तो भारत के बाहर से आवक प्रेषण द्वारा या ऋणदाता के एनआरई / एनआरओ / एफसीएनआर (बी) / एसएनआरआर खाते में डेबिट करके प्राप्त की जानी चाहिए; और

(बी) उधार गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर होगा अर्थात् व्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केवल ऋणदाता के एनआरओ खाते में की जाएगी।”

5. मूल विनियमों में, अनुसूची 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची -I

[विनियम 4(ए)(iv), 4(बी)(i), 4(बी)(iv), 6(ए, 6(बी)(i), 6(बी)(vii)] देखें]

बाह्य वाणिज्यिक उधार फ्रेमवर्क (ईसीबी)

1. योग्य उधारकर्ता -

(1) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति (एकल व्यक्ति के अलावा) जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत निगमित, स्थापित या पंजीकृत है, पात्र उधारकर्ता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसे व्यक्ति को लागू अधिनियमों के अनुसार ईसीबी की अनुमति हो।

(2) कोई भी पात्र उधारकर्ता, जो पुनर्गठन योजना या कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन है, केवल तभी ईसीबी जुटा सकता है जब पुनर्गठन या समाधान योजना के तहत विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

(3) कोई पात्र उधारकर्ता जिसके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी नियम, विनियम या निदेश के उल्लंघन के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई जांच, न्यायनिर्णयन या अपील लंबित है, लंबित जांच, न्यायनिर्णयन या अपील के बावजूद और ऐसी जांच, न्यायनिर्णयन या अपील के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ईसीबी जुटा सकता है। तथापि, उधारकर्ता को लंबित जांच, न्यायनिर्णयन या अपील के बारे में जानकारी 'फॉर्म ईसीबी 1' (या यदि कोई मौजूदा ईसीबी है तो 'संशोधित फॉर्म ईसीबी 1') के अंतर्गत देनी होगी।

2. मान्यता प्राप्त उधारदाता - एक पात्र उधारकर्ता निम्नलिखित से ईसीबी जुटा सकता है -

(ए) भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति;

(बी) ऐसी संस्था जिसका ऋण देने का व्यवसाय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है उसकी भारत के बाहर स्थित शाखा; और

(सी) आईएफएससी में स्थापित कोई वित्तीय संस्था या उसकी शाखा।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, वित्तीय संस्था का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र) विनियमावली, 2015 के तहत इसे दिया गया है।

3. उधार की मुद्रा –

- (1) एक पात्र उधारकर्ता विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) या भारतीय रूपये (आईएनआर) में मूल्यवर्गित ईसीबी जुटा सकता है।
- (2) ईसीबी की मुद्रा को एक विदेशी मुद्रा से दूसरी विदेशी मुद्रा में, किसी विदेशी मुद्रा से भारतीय रूपये में और भारतीय रूपये से किसी विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है।
- (3) मुद्रा परिवर्तन उस विनियम दर पर होगा जो ऐसे परिवर्तन के लिए करार की तिथि पर प्रचलित है या ऐसी विनियम दर पर होगा जिसके परिणामस्वरूप करार की तिथि पर प्रचलित विनियम दर का उपयोग करके प्राप्त देयता से अधिक देयता नहीं होगी।

4. उधार लेने के प्रकार –

- (1) एक पात्र उधारकर्ता किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक उधार व्यवस्था में ईसीबी जुटा सकता है जिसमें सहमत ब्याज का भुगतान, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, और मूलधन की चुकौती शामिल हो।
स्पष्टीकरण: ईसीबी में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) और विदेशी मुद्रा विनियमेय बॉण्ड (एफसीईबी) जारी करके उधार लेना शामिल है।
- (2) भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति से 30 अप्रैल 2007 को या उसके बाद प्राप्त निधि, जो अधिमान शेयरों या डिबेंचरों, जो पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से इक्कीटी शेयरों में परिवर्तनीय नहीं हैं, के निर्गमन के बदले में प्राप्त हुआ हो, उसे ईसीबी माना जाएगा।
- (3) पात्र उधारकर्ता द्वारा जुटाई गई निम्नलिखित निधियों को ईसीबी नहीं माना जाएगा:

- (ए) इन विनियमों के अनुसार जुटाया गया, तीन वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाला व्यापारिक उधार;
- (बी) इन विनियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के अनुसार प्राप्त निर्यात अग्रिम;
- (सी) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (क्रृष्ण लिखत) विनियमावली, 2019 के तहत प्राप्त निवेश;
- (डी) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-क्रृष्ण लिखत) नियम, 2019 के तहत जारी संपरिवर्तनीय नोटों के माध्यम से प्राप्त निवेश; और
- (ई) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-क्रृष्ण लिखत) नियम, 2019 के अनुसार क्रृष्ण लिखत के माध्यम से विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) से प्राप्त निवेश।

5. उधार लेने की सीमा –

- (1) एक पात्र उधारकर्ता निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, उस सीमा तक ईसीबी जुटा सकता है: (ए) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बकाया ईसीबी; या (बी) उधारकर्ता के अंतिम लेखापरीक्षित एकल तुलन-पत्र के अनुसार निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक कुल बकाया उधार (बाह्य और घरेलू)।

स्पष्टीकरण: बकाया उधार में गैर-निधि आधारित क्रृष्ण और अनिवार्य रूप से इक्कीटी में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से जुटाई गई निधियाँ शामिल नहीं होगी।

- (2) उधार सीमा के अनुपालन की जांच करते समय प्रस्तावित ईसीबी (पुनर्वित के लिए ईसीबी के अलावा) को भी सम्मिलित किया जाएगा।

- (3) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट उधार सीमा उन पात्र उधारकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित हैं।

6. परिपक्वता-

- (1) एक पात्र उधारकर्ता तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएएमपी) के साथ ईसीबी जुटाएगा।
स्पष्टीकरण: ईसीबी के लिए औसत परिपक्वता अवधि की गणना इन विनियमों के परिशिष्ट। में दर्शाए गए तरीके से की जाएगी।
- (2) विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत पात्र उधारकर्ता एक वर्ष और तीन वर्ष के बीच औसत परिपक्वता अवधि के साथ ईसीबी भी

जुटा सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसे ईसीबी की बकाया राशि 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो।

(3) कॉल और पुट ऑप्शन, यदि कोई हो, एमएएमपी के पूरा होने से पहले प्रयोक्तव्य नहीं होंगे।

(4) उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्दिष्ट एमएएमपी को निम्नलिखित मामलों में पूरा करना आवश्यक नहीं होगा –

(ए) अधिनियम के तहत जारी नियमों और विनियमों के अनुसार ईसीबी (एफसीसीबी और एफसीईबी सहित) का गैर-क्रृत लिखत में परिवर्तन;

(बी) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-क्रृत लिखत) नियम, 2019 के तहत जारी गैर-क्रृत लिखतों से प्राप्तियों का उपयोग करके ईसीबी का प्रत्यावर्तन आधार पर पुनर्भुगतान, इस शर्त के अधीन कि प्राप्तियां ईसीबी के आहरण के बाद हों;

(सी) इन विनियमों के अनुसार ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण;

(डी) उधारदाता द्वारा कर्ज का अधित्याग; और

(ई) अगर ईसीबी का पुनर्भुगतान उधारदाता या उधारकर्ता द्वारा कॉर्पोरेट कार्रवाइयां जैसे कि बंदी, विलय, विलगाव, व्यवस्था, नियंत्रण का अधिग्रहण, समामेलन, समाधान या परिसमापन के लिए आवश्यक हो।

7.उधार लेने की लागत –

(1) उधार लेने की लागत प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होगी।

(2) तीन वर्षों से कम की औसत परिपक्वता अवधि वाले पात्र ईसीबी के मामले में, उधार लेने की लागत इस विनियमावली के तहत व्यापार क्रृत के लिए विनिर्दिष्ट लागत सीमा के अनुपालन में होगी। निश्चित दर वाले क्रृतों के मामले में, संबंधित स्वैप का फ्लोटिंग रेट तथा स्प्रेड, सीलिंग से ज्यादा नहीं होगा।

8. अन्य लागत – प्रसंविदा के उल्लंघन या चूक के लिए लागू होने वाले चुकौती प्रभार या दंडात्मक व्याज, यदि कोई हो, तो प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होंगे।

9. स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत – संबंधित पक्ष से प्राप्त ईसीबी का कार्य निष्पक्ष स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा।

10.ईसीबी राशि की प्राप्ति –

(1) एक पात्र उधारकर्ता नामित एडी श्रेणी। बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक से क्रृत पंजीकरण संख्या (एलआरएन) लेने के बाद ही ईसीबी कि राशि प्राप्त कर सकेगा।

(2) भारत में अनुमत आईएनआर व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली ईसीबी निधियां, प्राप्ति तिथि से अगले महीने के अंत तक नामित एडी श्रेणी। बैंक में भारत में रखे गए आईएनआर खाते में जमा की जाए। उपयोग लंबित होने पर, निधियों को नामित एडी श्रेणी। बैंक में एक वर्ष तक की अवधि के लिए भार-रहित सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है।

(3) अनुमत विदेशी मुद्रा व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली ईसीबी निधि को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 के अनुसार भारत में नामित एडी श्रेणी। बैंक में रखे गए एफसीवाई खाते में या भारत के बाहर रखे गए एफसीवाई खाते में जमा किया जाए। उपयोग लंबित होने पर, निधियों को भारत के बाहर एक वर्ष तक की अवधि के भार-रहित सावधि जमा में या एक वर्ष तक के मूल परिपक्वता वाले भार-रहित क्रृत लिखत में निवेश किया जा सकता है।

11.जमानत-

(1) ईसीबी को निम्नलिखित द्वारा जमानत किया जा सकता है –

(ए) अनिवासी क्रृतदाता या जमानत न्यासी के पक्ष में अचल संपत्तियों, मूर्त चल आस्तियां, वित्तीय आस्तियां और अमूर्त आस्तियां (बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित) पर प्रभार सृजन करके; और

(बी) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के अनुसार क्रृतदाता या जमानत न्यासी के पक्ष में गारंटी जारी करके।

(2) ईसीबी प्राप्त करना निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा कि:

(ए) उधार करार में एक खंड है जिसमें उधारकर्ता को ऐसी जमानत प्रदान करने की आवश्यकता होती है;

(बी) किसी ऋणग्रस्त आस्ति पर प्रभार सृजित करने से पहले भारत में मौजूदा ऋणदाता (ऋणदाताओं) से, जैसा भी लागू हो, 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाएगा; और

(सी) किसी परिसंपत्ति पर प्रभार का सृजन, पारदेशीय ऋणदाता/ जमानत न्यासी द्वारा भारत में आस्ति के अधिग्रहण करने की अनुमति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान (जारी) नहीं करेंगी।

(4) जमानत के प्रवर्तन/ सक्रियण की स्थिति में -

(ए) ऋणदाता का दावा ईसीबी पर बकाया दावे तक ही सीमित रहेगा;

(बी) किसी भी आस्ति / संपत्ति का अंतरण अधिनियम या उसके तहत जारी की गई नियमावली, विनियमावली या निदेशों के अनुपालन में होगा। भारत में मौजूदा ऋणदाता (ऋणदाताओं) (यदि कोई हो) से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ऋणग्रस्त चल आस्तियों को देश से बाहर ले जाया जा सकता है; और

(सी) जहां अधिनियम या नियमावली या विनियमावली या उसके तहत जारी किए गए निदेशों के तहत ऋणदाता द्वारा आस्ति / संपत्ति का अधिग्रहण अनुमत नहीं है वहां भारत में निवासी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त विक्रय आगम को ईसीबी के बकाया दावे को समाप्त करने के लिए ऋणदाता को प्रेषित किया जा सकता है।

12. पुनर्वित्तपोषण - पात्र उधारकर्ता मौजूदा ईसीबी को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नए ईसीबी द्वारा पुनर्वित्त कर सकता है, बशर्ते कि पुनर्वित्त के परिणामस्वरूप मूल उधार पर लागू एमएएमपी आवश्यकता को पूरा करने में विफल न हो (एकाधिक उधार के मामले में भारित बकाया परिपक्वता)।

13. ईसीबी का गैर-ऋण लिखत में संपरिवर्तन -

(1) ईसीबी (जिनमें वे भी शामिल हैं जो परिपक्व हो चुके हैं लेकिन जिनका भुगतान नहीं हुआ है) को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अनुपालन के अधीन गैर-ऋण लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) ईसीबी का गैर-ऋण लिखत में परिवर्तन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा:

(ए) इस प्रकार के संपरिवर्तन को सक्षम करने के लिए ऋणदाता को कोई अतिरिक्त लागत देय नहीं होगी;

(बी) ऋणदाता की सहमति प्राप्त है; और

(सी) अन्य ऋणदाताओं की सहमति, यदि कोई हो, उपलब्ध है या कम से कम संपरिवर्तन के संबंध में जानकारी अन्य ऋणदाताओं के साथ साझा की गई है।

(3) प्रूडेंशियल विनियम, जिसमें पुनर्गठन से संबंधित विनियम भी शामिल है, तब भी लागू होंगे जब उधारकर्ता ने रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी इकाई (जिसमें उसकी विदेशी शाखा या सहायक कंपनी शामिल है) से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की है।

(4) गैर-ऋण लिखतों में परिवर्तन के लिए पात्र ईसीबी देयता का निर्धारण संबंधित पक्षों के बीच परिवर्तन के करार की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर या ऐसी विनिमय दर पर किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप करार की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके प्राप्त देयता से अधिक देयता न हो।

14. मानदण्ड, नियम और शर्तों में बदलाव -

(1) ईसीबी को शासित करने वाले मापदंडों, नियमों और शर्तों में परिवर्तन ऋणदाता की सहमति और इस अनुसूची के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन हैं।

(2) उधार की अवधि के विस्तार की स्थिति में, यदि उधारकर्ता ने रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी इकाई (जिसमें उसकी विदेशी शाखा या सहायक कंपनी शामिल है) से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं तब भी पुनर्गठन सहित प्रूडेंशियल विनियम लागू होंगे।

(3) नामित एडी श्रेणी । बैंक का परिवर्तन मौजूदा नामित एडी श्रेणी । बैंक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के अधीन होगा।

15. क्रृण कि चुकौती –

- (1) ईसीबी फ्रेमवर्क के अनुपालन में किए गए ईसीबी के संबंध में मूलधन, व्याज और अन्य प्रभार चुकाया जा सकता है।
- (2) क्रृणदाता के एनआरओ खाते से प्राप्त ईसीबी के मामले में चुकौती केवल एनआरओ खाते में ही जमा किया जाए।

16. रिपोर्टिंग –

- (1) पात्र उधारकर्ता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नामित एडी श्रेणी। बैंक के माध्यम से निम्नलिखित आवेदन/विवरणी प्रस्तुत करेंगे:
 - (ए) ईसीबी का व्यौरा प्रदान करने और एलआरएन प्राप्त करने के लिए 'फॉर्म ईसीबी 1';
 - (बी) 'फॉर्म ईसीबी 1' में पूर्व में रिपोर्ट किए गए ईसीबी मापदंडों में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्टिंग के लिए 'संशोधित फॉर्म ईसीबी 1', उस महीने के अंत से सात कैलेंडर दिनों के भीतर जिसमें ऐसा परिवर्तन प्रभावी हुआ था; और

स्पष्टीकरण: 'फॉर्म ईसीबी 1' में पहले रिपोर्ट की गई किसी भी अन्य जानकारी में बदलाव को सूचित करने के लिए 'संशोधित फॉर्म ईसीबी 1' भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(सी) ईसीबी निधि प्राप्ति और क्रृण चुकौती की रिपोर्टिंग के लिए 'फॉर्म ईसीबी 2', उस महीने के अंत से सात कैलेंडर दिनों के भीतर जिसमें निदधि प्राप्ति या क्रृण चुकौती की गई थी।

स्पष्टीकरण: एलआरएन के तहत बकाया उधार में परिवर्तन करने वाली किसी भी घटना या लेनदेन की रिपोर्टिंग 'फॉर्म ईसीबी 2' में की जाएगी।

- (2) रिपोर्टिंग समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में, उधारकर्ता रिपोर्टिंग पूरी करने के बाद इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- (3) नामित एडी श्रेणी। बैंक पात्र उधारकर्ता से प्राप्त आवेदन/ विवरणी को उचित प्रमाणन के साथ रिज़र्व बैंक को इस उद्देश्य के लिए सूचित कि गई विधि और प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।
- (4) यदि कोई पात्र उधारकर्ता 'फॉर्म ईसीबी 1'/'संशोधित फॉर्म ईसीबी 1' में अधिनियम के तहत जारी किसी भी नियम या विनियमन या निदेश के उल्लंघन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लंबित जांच या न्यायनिर्णयन या अपील की रिपोर्टिंग करता है तो नामित एडी श्रेणी। बैंक संबंधित एजेंसियों को उधार का पूरा व्यौरा प्रदान करेगा।
- (5) नामित एडी श्रेणी। बैंक उधारकर्ता के अनुरोध पर आवंटित एलआरएन को रद्द करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई आहरण न हुआ हो।

- (6) सक्रिय एलआरएन वाले किसी भी उधारकर्ता को एक लापता उधारकर्ता के रूप में माना जाएगा –

(ए) यदि उधारकर्ता अंतिम रिपोर्ट किए गए 'फॉर्म ईसीबी 1' के अनुसार आहरण या क्रृण चुकौती कि जाने वाले तिमाही के बाद लगातार चार या अधिक तिमाहियों तक विनिर्दिष्ट विवरणी में से कोई भी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; और

(बी) नामित एडी श्रेणी। बैंक, चार तिमाहियों की ऐसी अवधि के पूरा होने के बाद, संतुष्ट है कि:

- i. बैंक द्वारा किए गए प्रलेखित संचार के कई प्रयासों के बावजूद न तो उधारकर्ता और न ही उसके लेखा परीक्षक/ निदेशक/ प्रवर्तक से संपर्क हो सका और न उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी; और
- ii. बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उधारकर्ता, पंजीकृत कार्यालय के पते पर कार्यरत नहीं पाया गया।

- (7) यदि कोई उधारकर्ता आहरण के बाद लापता हो जाता है, तो नामित एडी श्रेणी। बैंक इसकी सूचना रिज़र्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय दोनों को दें।

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./673/2025-26]

फुट नोट:

मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 17 दिसंबर 2018 को जी.एस.आर. सं. 1213(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधन किए गए, अर्थात्;

- (i) 26 फरवरी 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. सं.163(ई)
- (ii) 24 मई 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा. 3(आर)(2)/2021-आरबी
- (iii) 28 जुलाई 2022 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा. 3(आर)(3)/2022-आरबी
- (iv) 9 अक्टूबर 2025 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा. 3(आर)(4)/2025-आरबी

अनुबंध ।

[अनुसूची 1 के उप-पैराग्राफ 6(1) देखें]

औसत परिपक्वता अवधि की गणना – उदाहरण

यह मानते हुए कि 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की ईसीबी राशि का लाभ उठाने और नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार चुकौती करने का प्रस्ताव है, तो ऐसी ईसीबी की औसत परिपक्वता अवधि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

आहरण/ चुकौती की तिथि (MM/DD/YYYY)	आहरण	चुकौती	शेष	दिनों की संख्या**	उत्पाद = (कॉलम 4 * कॉलम 5) / (ऋण राशि* 360)
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6
05/11/2007	0.75		0.75	24	0.0250
06/05/2007	0.50		1.25	85	0.1476
08/31/2007	0.75		2.00	477	1.3250
12/27/2008		0.20	1.80	180	0.4500
06/27/2009		0.25	1.55	180	0.3875
12/27/2009		0.25	1.30	180	0.3250
06/27/2010		0.30	1.00	180	0.2500
12/27/2010		0.25	0.75	180	0.1875
06/27/2011		0.25	0.50	180	0.1250
12/27/2011		0.25	0.25	180	0.0625
06/27/2012		0.25	0.00		
औसत परिपक्वता अवधि = (कॉलम 6 का योग)					3.2851

** गणना = दिन360 (पहली तिथि, दूसरी तिथि, 360)

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th February, 2026

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (First Amendment) Regulations, 2026

No. FEMA 3(R)(5)/2026-RB.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6, sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018 (Notification No. FEMA 3(R)/ 2018-RB dated December 17, 2018) (hereinafter referred to as the ‘Principal Regulations’), namely:

1. Short title and commencement –

(1) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (First Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) External Commercial Borrowings for which a Loan Registration Number (LRN) has been obtained before these regulations coming into effect shall continue in compliance with the then applicable regulations, except reporting which shall be undertaken as per the amended regulations.

2. Amendment to Regulation 2 – In the Principal Regulations, regulation 2 shall be substituted by the following regulation, namely:-

“2. Definitions –

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) “arm’s length basis” means a transaction between two related parties that is conducted as if the transacting parties were unrelated, so that there is no conflict of interest;

(c) “Authorised Bank” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(d) “Authorised Dealer (AD)” means a person authorised as an Authorised Dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(e) “benchmark rate” means any widely accepted interbank rate or Alternative Reference Rate (ARR) of 6-month tenor, applicable to the currency of borrowing, in case of foreign currency (FCY) external commercial borrowing (ECB) / trade credit (TC). Further, it means prevailing yield of the Government of India security of corresponding maturity in case of Indian Rupees (INR) denominated ECB / TC;

(f) “control” –

(i) in case of companies, control shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013; and

(ii) in case of LLPs, control means the right to appoint majority of the designated partners, where such partners, with specific exclusion to others have control over all the policies of the LLP.

(g) “cost of borrowing” means rate of interest, other fees, expenses, charges, guarantee fees and export credit agency charges, whether paid in FCY or INR, but shall not include commitment fees and statutory taxes payable in India;

(h) “Designated Authorised Dealer (AD) Category I Bank” means the AD Category I bank designated by the borrower for meeting the reporting requirements in respect of ECB and TC and monitoring of such transactions;

(i) “exchange earners’ foreign currency (EEFC) account” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015;

(j) “external commercial borrowing (ECB)” means borrowing by an eligible borrower from a recognised lender in accordance with Schedule I to these Regulations;

- (k) “external commercial lending (ECL)” means lending by a person resident in India to a person resident outside India in accordance with Schedule III to these Regulations;
- (l) “Foreign Currency Non-Resident (Bank) (FCNR (B)) account” shall have the same meanings as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (m) “financial sector regulator” means a financial regulatory body established under any law in force in India and includes the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India and Pension Fund Regulatory and Development Authority;
- (n) “foreign currency convertible bond (FCCB)” shall have the same meaning as assigned to it in the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993;
- (o) “foreign currency exchangeable bond (FCEB)” shall have the same meaning as assigned to it in the Issue of Foreign Currency Exchangeable Bonds Scheme, 2008;
- (p) “Housing Finance Institution” shall have the same meaning as assigned to it in the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
- (q) “Indian Entity” means a company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a body corporate established in India under a Central / State Act or a Limited Liability Partnership formed and registered in India under the Limited Liability Partnership Act, 2008;
- (r) “Industrial Park” means a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built-up space or a combination with common facilities is developed and made available to all the allottee units for the purpose of industrial activity;

Explanation : Common Facilities refers to facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line / sidings including electrified railway lines and connectivity to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention / conference halls, parking, travel desks, security service, first aid centre, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park.

- (s) “infrastructure sector” shall have the same meaning as assigned to it in the ‘Harmonised Master List of Infrastructure Sub-Sectors’ approved by Government of India vide Notification F. No. 13/06/2009-INF and as amended from time to time. For the purpose of these regulations, “Exploration, Mining and Refinery” sectors will be deemed as infrastructure sector;
- (t) “International Financial Service Centre (IFSC)” shall have the same meaning as assigned to it under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (u) ‘Liberalised Remittance Scheme’ means the scheme formulated in terms of circular A.P. (DIR Series) Circular No. 64 dated February 4, 2004;
- (v) “Non-Resident External (NRE) Account” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (w) “Non-Resident Ordinary (NRO) Account” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (x) “National Housing Bank” shall have the same meaning as assigned to it in the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
- (y) “net worth” –
- (i) In case of companies, net worth shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
 - (ii) In case of other entities, net worth shall be the sum of the funds recorded in the balance sheet under capital and undistributed profits after deducting therefrom the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the last audited balance sheet.
- (z) “Non-Resident Indian (NRI)” shall have the same meanings as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (aa) “Overseas Citizen of India (OCI) Cardholder” shall have the same meaning as assigned to it in the Citizenship Act, 1955;

(ab) “real estate business” means purchase, sale or lease of land or immovable property with a view to earning profit from there and does not include purchase, sale and lease (not amounting to transfer) of land or immovable property for the following purposes:

- (i) construction and development of industrial parks, integrated townships and SEZ;
- (ii) development of new industrial project, modernisation and expansion of existing units;
- (iii) any activity under ‘infrastructure sector’;
- (iv) construction-development project;
- (v) commercial or residential properties for own use of the borrower;
- (vi) real estate broking services.

Explanation:

(a) Construction-development projects includes development of townships, construction of residential /commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships;

(b) Transfer, in relation to real estate business includes,-

- (i) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or
- (ii) the extinguishment of any rights therein; or
- (iii) the compulsory acquisition thereof under any law; or
- (iv) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) ; or
- (v) any transaction, by acquiring capital instruments in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property.

(ac) “related party” means an entity which qualifies as a related party as per the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013). For a person other than a company, this definition shall apply *mutatis mutandis*;

(ad) “relative” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ae) “securities” shall have the same meaning as assigned to it in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;

(af) “Special Economic Zone (SEZ) shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act 2005;

(ag) “Special Non-Resident Rupee Account (SNRR) account” shall have the same meanings as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(ah) “trade credit (TC)” means credit extended by the overseas supplier or financial institution for permissible imports into India and includes both suppliers’ credit and buyers’ credit;

Explanation: Suppliers’ credit relates to the credit for imports into India extended by the overseas supplier, while buyers’ credit refers to loans for payment of imports into India arranged by the importer from an overseas bank or financial institution.

(ai) “transferable development rights” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000.

(2) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.”.

3. Insertion of Regulation 3A – In the Principal Regulations, after the existing regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely:-

“3A. Restriction on end-use of borrowed funds:-

Funds borrowed in terms of these Regulations shall not be utilised for the following purposes in India:

- (a) Chit funds;
- (b) Nidhi Company;

(c) Real estate business and construction of farmhouses, provided that:

(i) in case of a borrowing for construction-development project, the borrower shall sell plots only after ensuring development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage.

(ii) in case of borrowing for industrial parks, such parks shall comprise of a minimum of 10 units with no single unit occupying more than 50 percent of the allocable area and the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66 percent of the total allocable area.

Explanation: "Allocable area" in the Industrial Park means—

(i) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities.

(ii) in the case of built-up space - the floor area and built-up space utilized for providing common facilities.

(iii) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built-up space utilized for providing common facilities.

(d) Agricultural and animal husbandry, except –

(i) Floriculture, horticulture and cultivation of vegetables and mushrooms under controlled conditions;

(ii) Development and production of seeds and planting material;

(iii) Animal husbandry (including breeding of dogs), pisciculture, aquaculture and apiculture; and

(iv) Services related to agro and allied sectors

Explanation: The term 'under controlled conditions' covers the 'cultivation under controlled conditions' for the categories of floriculture, horticulture, cultivation of vegetables and mushrooms which is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.

(e) Plantation except tea, coffee, rubber, cardamom, palm oil tree, olive oil tree plantation

(f) Trading in Transferrable Development Rights (TDR);

(g) Transacting in listed/unlisted securities, except for transactions undertaken by an Indian entity for corporate actions such as merger, demerger, amalgamation, arrangement, or acquisition of control in accordance with the Act under which the entity is incorporated/established, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable;

Explanation: For sub-regulation 1(g), borrowing shall be availed for strategic purposes only, i.e. those driven by the core objective of creating long-term value through potential synergies, rather than for short-term gains.

(h) Repayment of a domestic INR loan (i) which was availed for an end-use restricted under this regulation; or (ii) which is classified as a non-performing asset (NPA) as per the applicable prudential norms.

(i) On-lending for any of the purposes for which funds cannot be borrowed and utilised in this regulation.

4. Amendment of Regulation 6(B) – In regulation 6(B) of the Principal Regulations, sub-regulations (vi) shall be substituted by the following, namely:-

“(vi) A person resident in India being an individual may borrow in INR from an NRI or a relative who is an OCI cardholder for utilization in India, subject to the following terms and conditions:

(a) The amount of loan should be received either by inward remittance from outside India or by debit to NRE / NRO / FCNR(B) / SNRR account of the lender; and

(b) Borrowing shall be on non-repatriation basis; i.e. payment of interest and repayment of principal shall be made only to the NRO account of the lender.”

5. In the Principal Regulations, Schedule I shall be substituted by the following, namely:-

“SCHEDULE I

[See **Regulations 4(A)(iv), 4(B)(i), 4(B)(iv), 6(A), 6(B)(i), 6(B)(vii)**]

External Commercial Borrowing (ECB) Framework

1. Eligible borrowers –

- (1) Any person resident in India (other than an individual) that is incorporated, established or registered under a Central or State Act is an eligible borrower, subject to the condition that such person is permitted for ECB in terms of applicable Act(s).
- (2) An eligible borrower that is under a restructuring scheme or corporate insolvency resolution process may raise ECB only if specifically permitted under the restructuring or resolution plan.
- (3) An eligible borrower against whom any investigation, adjudication or appeal by a law enforcement agency for contravention of any rule, regulation or direction issued under the Act is pending, may raise ECB notwithstanding the pending investigation or adjudication or appeal and without prejudice to the outcome of such investigation or adjudication or appeal. The borrower shall, however, disclose information about the pending investigation, adjudication or appeal under ‘Form ECB 1’ (or ‘Revised Form ECB 1’ in case there is existing ECB).

2. Recognised lenders – An eligible borrower may raise ECB from –

- (a) A person resident outside India;
- (b) A branch outside India of an entity whose lending business is regulated by the Reserve Bank; and
- (c) A financial institution or a branch of a financial institution set up in IFSC.

Explanation: For the purpose of this paragraph, financial institution shall have the same meaning as assigned to it under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015.

3. Currency of borrowing –

- (1) An eligible borrower may raise ECB denominated in foreign currency (FCY) or Indian Rupee (INR).
- (2) Currency of ECB may be changed from one FCY to another FCY, an FCY to INR and INR to an FCY.
- (3) Change of currency shall be at the exchange rate prevailing on the date of the agreement for such change or at an exchange rate which does not result in a liability higher than that arrived at by using the exchange rate prevailing on the date of the agreement.

4. Forms of borrowing –

- (1) An eligible borrower may raise ECB in any form of commercial borrowing arrangement that involves payment of agreed interest, if any, by whatever name called, and repayment of principal.

Explanation: ECB includes borrowing by issuance of a Foreign Currency Convertible Bond (FCCB) and Foreign Currency Exchangeable Bond (FCEB).

- (2) Funds received from a person resident outside India, on or after April 30, 2007, against issuance of preference shares or debentures which are not fully and mandatorily convertible to equity shares shall be treated as ECB.

- (3) The following funds raised by an eligible borrower shall not be treated as ECB:

- (a) Trade Credit with original maturity up to three years, raised in terms of these Regulations;
- (b) Export advance received in terms of these Regulations and Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015;
- (c) Investments received in terms of the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019;
- (d) Investments received through Convertible Notes issued in terms of the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019; and
- (e) Investments received from Foreign Venture Capital Investor (FVCI) through debt instruments in terms of the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019.

5. Borrowing limit –

- (1) An eligible borrower may raise ECB up to the higher of (a) outstanding ECB up to USD 1 billion; or (b) total outstanding borrowing (external and domestic) up to 300 per cent of net worth as per the last audited standalone balance sheet of the borrower.

Explanation: Outstanding borrowing shall not include non-fund based credit and funds raised through issuance of securities which are mandatorily convertible to equity.

(2) The proposed ECB (other than ECB for refinancing) shall be taken into consideration while checking for compliance with the borrowing limit.

(3) The borrowing limit specified in the sub-paragraph (1) shall not be applicable on eligible borrowers that are regulated by financial sector regulators.

6. Maturity –

(1) An eligible borrower shall raise ECB with minimum average maturity period (MAMP) of three years.

Explanation: Average Maturity Period for an ECB shall be computed in a manner illustrated in the Annex I to these Regulations.

(2) An eligible borrower engaged in manufacturing sector may also raise ECB with average maturity period between one year and three years, subject to the condition that outstanding amount of such ECBs shall not exceed USD 150 million.

(3) Call and put options, if any, shall not be exercisable prior to completion of MAMP.

(4) The MAMP specified at sub-paragraph (1) and (2) shall not be required to be met in case of –

(a) Conversion of ECB (including FCCB and FCEB) to non-debt instruments in accordance with the rules and regulations issued under the Act;

(b) Repayment of ECB using the proceeds from non-debt instruments issued in terms of Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019 on repatriation basis, provided the proceeds are received after the drawdown of the ECB;

(c) Refinance of ECB in terms of these Regulations;

(d) Waiver of debt by the lender; and

(e) Repayment of ECB, if required, for undertaking corporate actions such as closure, merger, demerger, arrangement, acquisition of control, amalgamation, resolution or liquidation by the lender or the borrower.

7. Cost of borrowing –

(1) The cost of borrowing shall be in line with prevailing market conditions.

(2) In case of eligible ECBs with average maturity period of less than three years, the cost of borrowing shall be in compliance with cost ceiling specified for Trade Credit under these regulations. In the case of fixed rate loans, the floating rate plus spread of the corresponding swap shall not be more than the ceiling.

8. Other costs – Prepayment charges or penal interest, if any, for default or breach of covenants shall be in line with prevailing market conditions.

9. Arm's length principle – ECB from a related party shall be carried out on an arm's length basis.

10. Receipt of ECB proceeds –

(1) An eligible borrower shall drawdown ECB only after obtaining the Loan Registration Number (LRN) from Reserve Bank through the designated AD Category I bank.

(2) ECB proceeds meant to be utilized for a permitted INR expenditure in India, shall be credited to an INR account held in India with the designated AD Category I bank by the end of the succeeding month from the date of receipt. Pending utilisation, the funds may be invested in an unencumbered fixed deposit of tenor up to one year with the designated AD Category I bank.

(3) ECB proceeds meant to be utilized for a permitted foreign currency expenditure may be credited to an FCY account held in India with the designated AD Category I bank or an FCY account held outside India, in terms of the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulation, 2015. Pending utilisation, the funds may be invested outside India in an unencumbered fixed deposit of tenor up to one year or an unencumbered debt instrument with original maturity up to one year.

11. Security –

(1) ECBs may be secured by –

(a) Creation of charge on immovable assets, movable assets, financial assets and intangible assets (including intellectual property rights) in favour of the non-resident lender or security trustee; and

(b) Issue of guarantee in favour of the lender or security trustee in accordance with the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2026.

(2) Securing ECBs shall be subject to the following terms and conditions:

- (a) The borrowing agreement contains a clause requiring the borrower to provide such security;
- (b) ‘No objection certificate’, as applicable, from the existing lender(s) in India shall be obtained before creation of charge on an encumbered asset; and
- (c) Creation of charge on an asset shall not be construed as a permission to acquire the asset in India, by the overseas lender / security trustee.

(3) Entities regulated by the Reserve Bank shall not provide (issue) any type of guarantee.

(4) In the event of enforcement / invocation of the security –

- (a) the claim of the lender shall be restricted to the outstanding claim against the ECB;
- (b) transfer of any asset / property shall be in compliance with the Act or Rules, Regulations or Directions issued thereunder. Encumbered moveable assets may be taken out of the country subject to obtaining a ‘No objection certificate’ from the existing lender(s) in India, if any; and
- (c) where the acquisition of the asset / property by the lender is not permitted under the Act or Rules or Regulations or Directions issued thereunder, the sale proceeds from transfer of such asset to a person resident in India may be remitted to the lender for extinguishing the outstanding claim against the ECB.

12. Refinancing – An eligible borrower may refinance an existing ECB, in part or full, by a fresh ECB, subject to the condition that refinancing doesn’t result in failure to meet MAMP requirement applicable on the original borrowing (weighted outstanding maturity in case of multiple borrowings).

13. Conversion of ECB into non-debt instrument –

(1) An ECB (including those which is matured but unpaid) may be converted into a non-debt instrument, subject to compliance with the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019.

(2) Conversion of ECB into a non-debt instrument shall be subject to the following terms and conditions:

- (a) No additional costs payable to the lender for enabling such conversion;
- (b) Consent of the lender is in place; and
- (c) Consent of other lenders, if any, is available or at least information regarding conversions is exchanged with other lenders.

(3) The prudential regulations, including those on restructuring, shall also be applicable if borrower has availed credit facilities from an entity (including its foreign branch or subsidiary) regulated by the Reserve Bank.

(4) ECB liability eligible for conversion into non-debt instruments shall be determined basis the exchange rate prevailing on the date of the agreement for such conversion between the parties concerned or at an exchange rate which does not result in a liability higher than that arrived at by using the exchange rate prevailing on the date of such agreement.

14. Change of parameters, terms and conditions –

(1) Changes to the parameters, terms and conditions governing the ECB may be made, subject to lender’s consent and compliance with the provisions of this Schedule.

(2) In case of extension of tenor of the borrowing, the prudential regulations, including those on restructuring, shall also be applicable if the borrower has availed credit facilities from an entity (including its foreign branch or subsidiary) regulated by the Reserve Bank.

(3) Change of designated AD Category I bank shall be subject to the obtaining ‘no objection certificate’ from the existing designated AD Category I bank.

15. Debt servicing –

(1) Principal, interest, and other charges, in respect of ECBs undertaken in compliance with the ECB framework, may be remitted.

(2) Repayment in case of an ECB availed from the NRO account of the lender shall be credited to the NRO account only.

16. Reporting –

(1) Eligible borrowers shall submit the following application/return through the designated AD Category I bank in the format provided by the Reserve Bank to the designated AD Category I bank:

- (a) 'Form ECB 1' for providing details of the ECB and obtaining LRN;
- (b) 'Revised Form ECB 1' for reporting any change in previously reported ECB parameters in 'Form ECB 1', within seven calendar days from the end of the month in which such change was given effect; and

Explanation: A 'Revised Form ECB 1' may also be submitted to intimate any change in any other information previously reported in 'Form ECB 1'.

- (c) 'Form ECB 2' for reporting receipt of ECB proceeds and debt servicing, within seven calendar days from the end of the month in which the proceeds were received or debt servicing was undertaken.

Explanation: Any event or transaction that alters the outstanding borrowing under an LRN shall be reported in 'Form ECB 2'.

(2) In case of non-adherence with reporting timelines, the borrower may pay late submission fee as per the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard after completing the reporting.

(3) The designated AD Category I bank shall submit the application/return received from the eligible borrower, along with due certification, to the Reserve Bank in the manner and format advised for this purpose.

(4) In case an eligible borrower reports a pending investigation or adjudication or appeal by the law enforcing agencies for contravention of any rule or regulation or direction issued under the Act in 'Form ECB 1' / 'Revised Form ECB 1', the designated AD Category I bank shall provide complete details of the borrowing to the agencies concerned.

(5) The designated AD Category I banks may approach the Reserve Bank for cancellation of an allotted LRN at the request of the borrower, subject to the condition that no draw down has taken place.

(6) Any borrower with an active LRN shall be treated as an untraceable borrower -

- (a) in case such borrower fails to submit any of the specified return(s) for four consecutive quarters or more after the quarter in which a drawdown or debt servicing was scheduled to be made as per the last reported 'Form ECB 1'; and

(b) the designated AD category I bank, after completion of such period of four quarters, is satisfied that:

(i) neither the borrower nor its auditor(s)/director(s)/ promoter(s) were reachable or responsive despite multiple attempts of communication undertaken and documented by the bank; and

(ii) borrower was not found to be operative at the registered office address as per the records available with the bank.

(7) In case a borrower qualifies as untraceable after occurrence of a drawdown, the designated AD Category I banks shall inform the same to both, the Reserve Bank and the Directorate of Enforcement.”.

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./673/2025-26]

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1213(E) dated December 17, 2018, in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended vide the following, namely:-

- (i) Notification No. G.S.R No. 163(E) published in the official gazette on February 26, 2019;
- (ii) Notification No. FEMA. 3(R)(2)/2021-RB published in the official gazette on May 24, 2021;
- (iii) Notification No. FEMA.3(R)(3)/2022-RB published in the official gazette on July 28, 2022; and
- (iv) Notification No. FEMA 3(R)(4)/2025-RB published in the official gazette on October 9, 2025

Annex I

(See paragraph 6 under Schedule I)
Computation of Average Maturity Period - Illustration

Assuming an ECB amount of USD 2 million is proposed to be availed and repaid as per the schedule given below, the average maturing period for such ECB shall be computed in the following manner:

Date of drawal/repayment (MM/DD/YYYY)	Drawal	Repayment	Balance	No. of Days** balance with the borrower	Product= (Col.4 * Col. 5)/ (Loan amount * 360)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
05/11/2007	0.75		0.75	24	0.0250
06/05/2007	0.50		1.25	85	0.1476
08/31/2007	0.75		2.00	477	1.3250
12/27/2008		0.20	1.80	180	0.4500
06/27/2009		0.25	1.55	180	0.3875
12/27/2009		0.25	1.30	180	0.3250
06/27/2010		0.30	1.00	180	0.2500
12/27/2010		0.25	0.75	180	0.1875
06/27/2011		0.25	0.50	180	0.1250
12/27/2011		0.25	0.25	180	0.0625
06/27/2012		0.25	0.00		
Average Maturity Period = (Summation of Col.6)					3.2851

** Calculated by = DAYS360 (firstdate, seconddate, 360)